

वर्ष 2013 से पूर्व
निर्मित

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

क्रमांक: 5436 / सम्पदा / भोविप्रा / 24

भोपाल, दिनांक 25/09/24

विभिन्न आकार के ई0डब्लू0एस0 प्रकोष्ठों के नियत मूल्य पर विक्रय हेतु ऑनलाईन

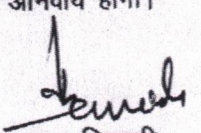
आमंत्रण

प्राधिकरण की स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स, योजना स्थित ई0डब्लू0एस0 प्रकोष्ठ का विक्रय निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट <https://Vikaspardhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से दिनांक से दिनांक तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में रिक्त संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से प्रकोष्ठों का आवंटन सुनिश्चित किया जावेगा।

अ नु क्र०	ई0डब्लू0 एस प्रकोष्ठ क्रमांक	प्रकोष्ठ का तल	प्रकोष्ठ इकाइयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आरक्षण की श्रेणी यदि आरक्षित हो	प्रकोष्ठ इकाई की आरक्षित कीमत	पट्टे (लीज) पर या भूमिस्वामी अधिकारों पर व्ययन	वार्षिक पट्टा भाड़ा पट्टे लीज के प्रकरण में	निक्षेप (पंजीयन राशि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	D-1/303	द्वितीय तल	आवासीय	25.98	अनारक्षित	7,21,112	-लीज-	1677 / -	72,111
2	D-1/407	तृतीय तल	आवासीय	25.98	अनारक्षित	6,83,191	-लीज-	1677 / -	68,319
3	D-2/108	ग्राउण्ड फ्लोर	आवासीय	25.98	अनारक्षित	7,96,983	-लीज-	1677 / -	79,698
4	D-3/202	प्रथम तल	आवासीय	25.98	अनारक्षित	7,59,052	-लीज-	1677 / -	75,905
5	D-4/207	प्रथम तल	आवासीय	25.98	अनारक्षित	7,59,052	-लीज-	1677 / -	75,905
6	D-4/402	तृतीय तल	आवासीय	25.98	अनारक्षित	6,83,191	-लीज-	1677 / -	68,319
7	D-4/404	तृतीय तल	आवासीय	25.98	अनारक्षित	6,83,191	-लीज-	1677 / -	68,319

आवंटन के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- 1-प्रकोष्ठ का आवंटन यथा स्थिती में किया जाएगा।
- 2-स्वीकृति उपरान्त जारी आवंटन पत्र में वर्णित नियम शर्तें मान्य होगी।
- 3-प्रकोष्ठों का स्थल पर निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- 4-प्रकोष्ठों के विक्रय पश्चात किसी प्रकार का विकास का कार्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जावेगा।
- 5-किसी भी प्रकार वाद/विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, भोविप्रा, भोपाल का निर्णय मान्य होगा।
- 6-प्रकोष्ठों के आवेदन एवं आवंटन पत्र में नियम एवं शर्तें संलग्न रहेगी, आवेदन में उल्लेखित शर्तों का आवेदन को पालन करना अनिवार्य होगा।
- 7-समिति शुल्क, सेवा प्रभार तथा व्ययन नियम 2018 के अनुसार देय होगी।
- 8-प्रकोष्ठों की शेष राशि जमा करने की समयवधि आवंटन-आदेशानुसार देय होगी।
- 9-शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।


सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल

जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

- 1-श्री रवि सिंह आई0टी0 (ऑनलाईन प्रक्रिया से संबंधित) मो0-8770234380
- 2-श्री उमेश वर्मा सहायक यंत्री(कटारा हिल्स) प्रकोष्ठों/लोकेशन से संबंधित मो0-8770174853
- 3-श्री आर0एस0 कोगे उपयंत्री भवन/लोकेशन से संबंधित मो0-9893700744